RAJYA SABHA

Monday, the 10th March, 2003/19 Phalguna, 1924 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फिल्मों में घरेलू हिंसा वाले दृश्य

*261. श्रीमती चन्द्रकला पांडे:††

श्रीमती सरोज दुबे:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड को फिल्मों में घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाले दृश्यों को निकलवाने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी॰बी॰एफ॰सी॰) चलचित्रकी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी दिशा-निदेशों के अनुसार फिल्मों को प्रमाणित करता है। इन दिशा-निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है कि:–

(क) बच्चों को हिंसा के शिकार के रूप में या अपराधकर्ताओं के रूप में या उसका गवाह बनाने के लिए बाध्य करते हुए न दिखाया जाए या बच्चों के साथ किसी रूप में दुर्व्यवहार करने को अनावश्यक रूप से प्रदर्शित न किया गया हो;

---

† सभा में यह प्रश्न श्रीमती चन्द्रकला पांडे द्वारा पूछा गया।

(ख) हिंसा, क्रूरता और भय के व्यर्थ और परिहार्य दृश्यों, मुख्यत: मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा के दृश्य तथा ऐसे दृश्य जो लोगों को असंवेदी या अमाननीय बनाते हों, न दिखाए जाएं;

(ग) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जो महिलाओं को किसी रूप में बदनाम करते हों या उनकी निन्दा करते हों।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सूचित किया है कि फिल्मों को प्रमाणित करते समय निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

Scenes of domestic violence in films

†*261. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:††
SHRIMATI SAROJ DUBEY:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Film Censor Board is empowered to censor the scenes promoting domestic violence in the films;

(b) if so, whether the Board is discharging its duties in an appropriate manner; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Central Board of Film Certification (CBFC) certifies films in terms of the provisions of the Cinematograph Act, 1952 and the guidelines issued thereunder. These guidelines, *inter alia*, as CBFC to ensure that:

(a) sowing involvement of children in violence as victims or as perpetrators or as forced witness to violence, or showing children as being subjected to any form of child abuse are not presented needlessly;

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Chandra Kala Pandey.

(b) pointless or avoidable scenes of violence, cruelty and horror, scenes of violence primarily intended to provide entertainment and such scenes as may have the effect of desensitizing or dehumanizing people are not shown;

(c) scenes degrading or denigrating women in any manner are not presented.

It has been informed by CBFC that the guidelines laid down are adhered to while certifying films.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी क्योंकि जो उन्होंने उत्तर दिया है, उस उत्तर में तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक-ठाक है यानि ''खामोश अदालत जारी है'' का माहौल है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक है तो फिर इतनी सारी हिंसा क्यों दिखाई जा रही है और इतने प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? मैं अधिक प्रश्न पूछूंगी तो आप कहेंगे कि प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। मान्यवर, मानव संसाधन विकास की संसदीय समिति ने घरेलू हिंसा से रक्षा विधेयक, 2002 की रिपोर्ट दी है, वह बिल अभी संसद में पास किया जाएगा। मेरा प्रश्न यह है कि हमें आरंभ से ही जो जीवन मूल्य सिखाया जाता है उससे यह समझ में आता है कि स्थिति तभी काबू में आती है जब उसकी पिटाई हो, ''ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी'' जैसा एक मुहावरा बन गया है, इसमें फिल्में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं, तो क्या आप ऐसी टेली फिल्में बनवाने की बात पर गौर कर रहे हैं, जो महिलाओं के न्यायिक अधिकारों से उन्हें परिचित कराए और पुलिस, प्रशासन, न्याय व्यवस्था को उनका संरक्षक दिखाने की कोशिश करे?

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय सभापति जी जहां तक फिल्में बनवाने का प्रश्न है, ऐसी फिल्में हमारा एनएफडीसी और जो वैसी संस्थाएं हैं वे बनाती हैं। जो इनका प्रश्न था कि सेंसर बोर्ड कुछ नहीं करता, मैं बताना चाहूंगा कि सेंसर बोर्ड जब हमने बनाया तो उनके लिए एक गाइडलाइन दे रखी है, जिसके अंतर्गत वह कार्य करता है। हमारी भूमिका गाइडलाइन बनाने की है, बाद में फिर इसमें एक अपील का प्रावधान है, एक रिवीजन का प्रावधान है। आदरणीय चन्द्रकला जी भी समझेंगी कि इसमें तीन विषय आते हैं-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, सृजनात्मक सौन्दर्य की स्वतंत्रता हो और स्वस्थ मनोरंजन हो। इन तीनों के बीच हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है। लेकिन, जहां तक सेंसर बोर्ड का काम न करने का प्रश्न है, मैं बताना चाहूगा कि वर्ष 2002 में उन्होंने 943 भारतीय पिक्चरों में 12,121 मीटर की कटौती की थी और विदेशी पिक्चरों में, जिनकी संख्या 290 थी उसमें 1367 मीटर की कटौती की थी। ऐसा नहीं है कि सेंसर बोर्ड काम नहीं करता।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: सभापति महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि आम तौर पर भारतीय फिल्मों में घरेलू हिंसा की शिकार महिला को अवसाद और हीन भावना से ग्रस्त होकर या तो

पागल होते दिखाया जाता है या आत्महत्या करते दिखाया जाता है, जबकि जुल्मी सीना तानकर घूमते रहते हैं। कामकाजी स्त्रियां प्राय: शक-शुबहे से त्रस्त होती हैं, घर से निकलकर जायें कहां? उनमें बाघों के पिंजरे से बाघों के जंगल में भटकने का साहस नहीं है। तो क्या आप ऐसी डॉक्यूमेंटरी फिल्में बनवाएंगे, जिससे महिलाओं को भरोसा और आत्मबल मिल सके?

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय सभापति जी, चन्द्रकला जी की जो काव्यात्मक हिंदी है, उससे उनके प्रश्न को अगर मैंने समझने की कोशिश की है, तो उसके पीछे यह भाव है कि महिलाओं को उचित सम्मान मिले। मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि हम सेंसर बोर्ड की जो परामर्शदात्री समिति बनाते हैं जब उसमें किसी चलचित्र को सेंसर के लिए देखा जाता है तो उसमें इस बात की व्यवस्था है कि उसमें दो महिलाएं अवश्य हों। जो इसमें चार लोग होते हैं, उसमें एक पदाधिकारी होते हैं, दो महिलाएं अवश्य होती हैं और वे भी इस पर विचार करती हैं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: उन महिलाओं की बात कितनी सुनी जाती है?

श्री रवि शंकर प्रसाद: वही उसको पास करती है, मैं यह कह रहा हूं। जहां तक डाक्यूमेंटरी बनाने का आपका सुझाव है, मैं इस पर अवश्य विचार करुंगा।

श्रीमती सरोज दुबे: माननीय सभापति महोदय, अगर प्रिंट मीडिया में कोई बातें अश्लील होती हैं तो कुछ ही लोग उसे देखते हैं क्योंकि कुछ लोग शिक्षित होते हैं, लेकिन अगर दृश्य और श्रव्य मीडिया में खासतौर से जब किसी फिल्म में कोई अश्लील बात होती है तो करोड़-करोड़ लोग उसे देखते हैं और फिल्म के अंदर इतनी ताकत होती है कि समाज की सोच बदल सके। इस तरह की बातों पर रोक के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया गया और उस सेंसर बोर्ड को एक धारदार कैंची दी गई थी कि जब भी कोई ऐसा मार्गदर्शन के खिलाफ दृश्य हो तो उसको कतर दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को कैंची दिए हुए कई साल हो गए, ...(*व्यवधान*)

श्री सभापति: मंत्री जी ने अभी बताया कि कतरन की है।

श्रीमती सरोज दुबे: सर, इन्होंने कतरा है। एक गोरा होने की क्रीम पर इन्होंने बैन लगाया है, उसे बंद कर दिया है। यह इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है।

श्री सभापति: आप प्रश्न कीजिए।

श्रीमती सरोज दुबे: एक कानून है इनडिसेंट रिप्रजेंटेशन आफ वूमन, दो-दो बातें मौजूद हैं उसके बावजूद भी फिल्मों में बलात्कार के लम्बे-लम्बे सीन, एक से बढ़कर एक अश्लीलता और फूहड़ता के सीन दिखाए जाते हैं और उसके बाद जब कभी पति मार खाकर घर आता है तो घर में पत्नी को ही मारता है, औरतों को ही मारता है। कभी किसी पुरुष को मारते हुए इन लोगों ने नहीं दिखाया।

श्री सभापति: हालांकि यह सत्य है कि मारते हैं पुरुषों को भी।

श्रीमती सरोज दुबे: सर, तीसरी बात यह थी ....

श्री सभापति: आप प्रश्न करिए।

श्रीमती सरोज दुबे: आज हम अपनी जनसंख्या को लेकर चिंतित हैं क्योंकि महिलाओं का और बालिका वध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक फिल्म आई-लज्जा। इसमें नवजात बालिका को दूध के बर्तन में डुबोकर मारने का तरीका दिखाया गया और जिस महिला ने उसको बचाने की कोशिश की उसके साथ सामूहिक रूप से और क्रूरतापूर्वक बलात्कार हुआ। तो इस तरह के दृश्य इनके दिशा-निर्देशों के पूरे खिलाफ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि एक के बाद एक अश्लीलता और फूहड़पन से भरा हुआ समाज, महिलाओं के साथ क्रूरता और हिंसा को दिखाने वाली फिल्मों को रोकने का और उनका प्रमाणिक सर्टिफिकेट वापिस लेने का सरकार को जो अधिकार है, उसके तहत सरकार ने इनको अभी तक क्यों नहीं रोका और अगर सैंसर बोर्ड की धारदार कैंची कमजोर हो गई है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए कौन से कड़े कदम मंत्री जी उठाने जा रहे हैं ताकि समाज का वातावरण स्वच्छ हो सके और महिलाएं तरक्की की ओर जा सकें?

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले ही बताया कि 12,000 मीटर से अधिक की कैंची चली है। यह बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। एक तरफ जहां माननीय सदस्या ...(*व्यवधान*)...

श्रीमती सरोज दुबे: मान्यवर, दो-चार फिल्में जो आजकल हैं, आप कहें तो मैं उन्हीं के नाम गिना दूं कि किस क़दर उनमें महिलाओं के साथ हुआ है। आप तो फिल्म देखने के शौकीन हैं, जरा देख लीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: नहीं, मैं फिल्में बहुत नहीं देखता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं बता रहा था कि यह बड़ा संवेदनशीन प्रश्न है। एक तरफ ...

श्री सभापति: पहले तो आप बताइए कि आप फिल्म देखने के शौकीन हैं या नहीं?

श्री रवि शंकर प्रसाद: बहुत कम देखता हूं। एक तरफ तो सृजनात्मक स्वतंत्रता का सम्मान करना है, एक तरफ कलात्मक अभिव्यक्ति का सम्मान करना है और दूसरी ओर गाइडलाइंस का आदर भी करना है, इन दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने सैंसर बोर्ड की जो परामर्शदात्री समिति बनाई है, उसमें हर समिति में जो पिक्चरें देखी जाती हैं उसमें दो महिलाओं का रहना अनिवार्य है। लेकिन इतना मैं मानता हूं और मैंने देखा है कि हमारे दिशा-निर्देश, गाइडलाइंस 1991 में बने हैं। संभवत: इन 12 वर्षों में इसमें काफी कुछ नए सोच की आवश्यकता बनी है। इसलिए मैंने अपने विभाग से आग्रह किया है कि वह इसके बारे में पुनर्विचार करे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि सरकार की इसमें अपनी कोई भूमिका नहीं होती है। एक बार सैंसर बोर्ड का गठन हो जाता है तो यह काम उनका है और उसके अंदर अपील का प्रावधान है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

श्रीमती सरोज दुबे: सर, सैंसर बोर्ड के बारे में मैं बताना चाहती हूं कि सैंसर बोर्ड में कोई मैम्बर अगर फिल्म के खिलाफ बोलता है तो उसको मीटिंग में ही नहीं बुलाते हैं।

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है। मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। श्रीमती सरला माहेश्वरी।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आप अगर मुझे कोई स्पेसिफिक इंस्टांस बताएंगी तो मैं कार्रवाई करुंगा, इतना आश्वासन देता हूं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, यह घरेलू हिंसा हम जैसे समाजों का तो कटु यथार्थ है ही, विकसित देश भी इससे अछूते नहीं हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य, सभापति जी, यह है कि इसमें अभी तक घरेलू हिंसा के बारे में कानून भी नहीं हैं और जो विधेयक सरकार लेकर आई है, उसकी समझ बिल्कुल ही घरेलू हिंसा को वैधानिकता प्रदान करती है। मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि यही मानसिकता वहां भी परिलक्षित हो रही है। आपने जो गाइडलाइंस दी हैं, सभापति जी, इनकी गाइडलाइंस को अगर आप देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि इन गाइडलाइंस के अनुसार, इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर हमारा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलता है तो 100 में से एक भी फिल्म प्रमाण पत्र पाने के योग्य नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद यह चल रहा है। मैं इस बात से मंत्री जी के साथ एकमत हूं कि कलात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति और नग्नता व फूहड़ता के बीच में आपको एक समन्वय बिठाना है। लेकिन इसके लिए पहली जरूरी बात यह है कि आपके जो दिशा-निर्देश हैं, इतने पुराने हैं कि इनको अद्यतन नहीं बनाया गया। पहली बात तो यह है कि क्या इन दिशा-निर्देशों को आप अद्यतन बनाएंगे और जो सैंट्रल फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य हैं, उनका क्या जेंडर सेंसिटाइजेशन आप करेंगे? उनकी मानसिकता का सवाल है और आप इसको किस रूप में देखते हैं, इसलिए इस बात की जरूरत है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आदरणीय सभापति जी, जहां तक घरेलू हिंसा के बारे में वैधानिक प्रावधान का सवाल है, यह मेरे विभाग का विषय नहीं है। आदरणीय कानून मंत्री जी यहां हैं, यह उनका विषय है। लेकिन जहां तक इसके संबंध में सैंसर बोर्ड के सदस्यों को बताने की आवश्यकता है, मैंने आरम्भ में बताया कि ये दिशा-निर्देश 1991 के हैं और 12 वर्ष के अंतराल के बाद इन पर दोबारा एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है और मैं इस संबंध में विचार कर रहा हूं। मैं उस संबंध में विचार कर रहा हूं। ...(*व्यवधान*)...

श्रीमती सरोज दुबे: लेकिन महिलाओं की बेइज्जती तो तब भी थी और अब भी है। ...(*व्यवधान*)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: लेकिन एक बात आपने स्वयं कही कि अगर हम 1991 के प्रावधानों को सही रूप से लागू करें तो कोई फिल्म नहीं बनेगी। इसलिए हमें भी सृजनात्मक प्रतिभा का सम्मान तो करना है।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, the growing violence involving women and children are being shown in films, even in regional languages, in the name of entertainment. No doubt, there is the Censor Board, and there are certain norms fixed by the Government. I would like to know from the hon. Minister as to what are the norms that have been fixed by the Government. I would also like to know whether these norms are being followed strictly.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, as far as these norms are concerned, they are laid down in the guidelines of the year 1991. As I stated in reply to my earlier question, there is a need to have a fresh look in the wake of 12 years that have gone by. But, as a Minister, I would also wish to assure you in the House that we also stand for respecting the creativity of the people, also having a healthy entertainment, and we have to have a constructive blend of both. Therefore, we have got to ensure that these guidelines operate in a manner that creativity is not completely lost. So, that issue is there. And, if there is uncalled for violence, if there is too much stress upon things which are obscene, the Censor Board does intervene. In fact, as I had indicated, more than 12,000 metres have been deleted in 2002 alone. That, by itself, is not a small statistic.

डॉ॰ कुमकुम राय: धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड में जो तमाम मेम्बर्स हैं, क्या उनमें केन्द्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग की सदस्या हैं या नहीं हैं? यदि नहीं हैं तो आगे आप इस केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में प्रत्येक राज्य कि महिला आयोग की एक-एक मेम्बर को रखने जा रहे हैं या नहीं?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति महोदय, शायद डॉ॰ कुमकुम राय इस बात को समझेंगी कि आजकल लोकतंत्र में एक व्यक्ति, एक पद का बहुत जोर चल रहा है। इसलिए एक ही व्यक्ति को कई जगह पद दिया जाए, यह उचित नहीं होगा। जहां तक महिलाओं को इसका सदस्य बनाने की बात है। सरकार इस बात की विशेष चिंता करती है कि सेंसर बोर्ड के पद का जो दायित्व है, उसके अनुसार उनकी समझदारी हो, मानसिकता हो और इसके लिए उपयोगी बनें।

श्री सभापति: वैसे मैंने आज यह प्रश्न महिलाओं के लिए रिजर्व रखा था, लेकिन डॉ॰ राजा रामण्णा की भी चिट आई है इसलिए मैं उनको भी अलाऊ करता हूं।

DR. RAJA RAMANNA: Mr. Chairman, Sir, the matter, which is forgotten in all these projections of movies and TVs, is the great ingenuity

which the scientists and technologists have put, to bring about all these things to become so easily available to the public. Now, to use them for the type of dancing, for the type of rape scenes and the things that I have been seeing—which I am forced to see more in Delhi than in Bangalore, more because I seem to have more time here,—shocks me, and it is an insult to the scientific development in this country. Hardly have I seen a film depicting the life of Einstein or the life of Panini, or, their contributions in any of these biographical things. It is always showing murder, infanticide and things like that. What I want to bring to your attention, that while we talk of purifying it saying, creativity is important, we have to define what creativity is. The importance of usefulness of the creativity that is being put by various other people who are also involved in the technical development must be taken into account, and not have foolish presentations, as cheap entertainment.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: As far as the genius of Indian scientific personnel in the promotion of film technology is concerned, I quite salute that; I know, they have given a great input. I wish to inform the hon. Member that in the field of film technology, the Indian technologists are being spoken of very high inthe film market the world over. But as far as projecting the achievement of scientific personnel is concerned, Doordarshan, as a public broadcaster, is, certainly, engaged in this. We have got good documentaries which are on them. But, when the film issue comes about, the industry is more driven by considerations of commerce and revenue, so to say, the market, as the situation is. Therefore, we do recognise their right to have a market-orientation, but without impinging upon the guidelines of the Censor Board, which I indicated earlier, require a fresh look.

**262. [The questioner (Shri A Vijaya Raghavan) was absent for answer vide page 35-36 infra].*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

*263. लाला लाजपत राय:†
श्री राम जेठमलानी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों में वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान मार्च के महीने में की गई पूंजी-निवेश का आकलन किया है;

† सभा में यह प्रश्न श्री लाला लाजपत राय द्वारा पूछा गया।